

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड

UTTAR PRADESH JAL VIDYUT NIGAM LIMITED

(A U.P. Govt. Enterprise)

Save Energy for Benefit of Self and Nation

स्वहित एवं राष्ट्रहित में बिजली बचाएं

CIN-U31901UP1985SGC007135

Registered/Corporate Office:
12th Floor, Shakti Bhawan Extension,
14- Ashok Marg, Lucknow- 226001
Phone: 0522-2287037
RAX No.: 0522- 2287701 Ext. 4653



रजिस्टर्ड/ कारपोरेट कार्यालय :
12वां तल, शक्ति भवन विस्तार,
14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
फोन: 0522-2287037
फैक्स नं० : 0522-2287701 वि.नं.-4653

संख्या- / का० एवं प्रशा०/जविनिलि०/22-03(45)/2001

दिनांक: 01/10/2022

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० में कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उन पर पूर्णतया आश्रित परिजनों तथा पारिवारिक पेंशनरों द्वारा भर्ती होकर कराई गई सामान्य चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अस्पतालों की मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा निर्गत निम्नलिखित आदेशों (छायाप्रति संलग्न) को इस निगम में अंगीकृत किया जाता है:-

- 1- कार्यालय ज्ञाप संख्या 2521-औसं-17/पाकालि/2022-11(1)ए०एस०/09(22) दिनांक 07.07.2022
- 2- कार्यालय ज्ञाप संख्या 2522-औसं-17/पाकालि/2022-11(1)ए०एस०/09(22) दिनांक 07.07.2022
- 3- कार्यालय ज्ञाप संख्या 2523-औसं-17/पाकालि/2022-11(1)ए०एस०/09(22) दिनांक 07.07.2022
- 4- कार्यालय ज्ञाप संख्या 2525-औसं-17/पाकालि/2022-11(1)ए०एस०/09(22) दिनांक 07.07.2022
- 5- कार्यालय ज्ञाप संख्या 3005-औसं-17/पाकालि/2022-11(1)ए०एस०/09(22) दिनांक 03.08.2022
- 6- कार्यालय ज्ञाप संख्या 3009-औसं-17/पाकालि/2022-11(4)ए०एस०/06 दिनांक 05.08.2022

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 3062/का० एवं प्रशा०/जविनिलि०/22-03(45)/2001 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निदेशक (तकनीकी)/(वित्त), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।
- 2- मुख्य अभियन्ता (परि० एवं अनु०)/(एम०पी०एस०), उ० प्र० जल विद्युत निगम लि०।
- 3- उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ० प्र० जल विद्युत निगम लि०।
- 4- अधीक्षण अभियन्ता, जल विद्युत उत्पादन मण्डल, पिपरी/माताटीला/खारा।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता, जानपद निर्माण मण्डल, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
- 6- अधिशासी अभियन्ता (मुख्यालय), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि वह आदेश को वेबसाइट पर अपलोड करवाये।
- 7- लेखाधिकारी (आहरण एवं वितरण)/(वेतन एवं लेखा)/(पेंशन), उ० प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
- 8- चिकित्सा सलाहकार, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
- 9- सम्बन्धित हास्पिटल।
- 10- कट फाइल।

[Signature]
30/09/2022
(मो० अलीम)

उप सचिव (का० एवं प्रशा०)

RECD

[Signature]
03/10/22



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

कॉपी नंबर 3442
दिनांक 25/8/2022
पत्र संख्या 03(45)2022

संख्या:-2521-औसं-17/पाकालि/2022-11(01)ए०एस०/09 (22)

दिनांक: 07 जुलाई, 2022

विषय :- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की मान्यता अवधि दिनांक 30.04.2023 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप सं०-3210-औ०सं०-17/पाकालि/2021 दिनांक 22.10.2021 द्वारा दिनांक 30.04.2022 तक मान्यता प्राप्त चन्द्रा मंदर एण्ड आई केयर प्रा०लि०, 4/43 विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ की मान्यता पूर्ववत् चिकित्सालय प्रबन्धन से प्राप्त समस्त वांछित अभिलेख एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ द्वारा नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाण-पत्र, जो दिनांक 30.04.2023 तक वैध है, के दृष्टिगत कारपोरेशन के आदेश सं०-4452-औसं-17/पाकालि/02, दिनांक 09.12.2002 एवम् आदेश संख्या-3593-औसं-17/पाकालि/2003, दिनांक 21.07.03 तथा आदेश संख्या-3330-औसं/2018-11(28) ए०एस०/2004 (VOL-2015/CGHS) दिनांक 08 अगस्त, 2018 में निहित प्राविधानों/मानकों एवम् अनुमोदित सी०जी०एच०एस०-2014 की मानक दरों के अधीन तदनुक्रम में दिनांक 01.05.2022 से दिनांक 30.04.2023 तक एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है :-

1. उक्त चिकित्सालय को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनको प्रदान की गई मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है, तो चिकित्सालय की मान्यता समाप्त हो जायेगी।
2. कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि मान्यता अवधि से पूर्व कभी भी चिकित्सालय की मान्यता बिना कोई पूर्व सूचना व कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
3. चिकित्सालय के प्रबन्धन द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालय की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण बताये, समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या:-2521(1) औसं-17/पाकालि/2022-तददिनांक :-


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, 8वाँ तल शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।

(2)

4. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त),(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर ट्रांसको, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केरको, कानपुर।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
8. महाप्रबन्धक (का० एवं प्रशा०), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, 12वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिकासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
11. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ०सं०) समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
14. प्रबन्धक, चन्द्रा मंदर एण्ड आई केयर प्रा०लि०, 4/43 विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
15. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
17. अधिकासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org-Medical पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
18. कट फाइल।

भवदीय



(लोकेन्द्र सिंह)

कार्मिक अधिकारी





उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड (उ०प्र० सरकार का उपक्रम) दिनांक 25/8/2022

U.P. Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-2522-औसं-17/पाकालि/2022-11(01)ए०एस०/09 (22)

दिनांक: 07 जुलाई, 2022

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप सं०-3372-औ०सं०/पाकालि/2021 दिनांक 30.10.2021 द्वारा दिनांक 30.04.2022 तक मान्यता प्राप्त प्राची हॉस्पिटल प्रा०लि०, (मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल) सेक्टर-सी-105, शान्तिपुरम्, फाफामऊ, प्रयागराज की मान्यता पूर्ववत् चिकित्सालय प्रबन्धन से प्राप्त समस्त वांछित अभिलेख एवं जिन्हा पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनन्तिम प्रमाण-पत्र (Provisional Certificate) दि० 17.05.2022, जो एक वर्ष के लिए वैध है, के दृष्टिगत कारपोरेशन के आदेश सं०-4452-औसं-17/पाकालि/02, दिनांक 09.12.2002 एवम् आदेश संख्या-3593-औसं-17/पाकालि/2003, दिनांक 21.07.03 तथा आदेश संख्या-3330-औसं/2018-11(28) ए०एस०/2004(VOL 2015/CGHS) दिनांक 08 अगस्त, 2018 में निहित प्राविधानों/मानकों एवम् अनुमोदित सी०जी०एच०एस०-2014 की मान्यताओं के अधीन तदनुक्रम में दिनांक 01.05.2022 से दिनांक 16.05.2023 तक एतद्वारा निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है :

1. उक्त चिकित्सालय को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनको प्रदान की गई मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है, तो उस चिकित्सालय की मान्यता समाप्त हो जायेगी।
2. कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि मान्यता अवधि से पूर्व कभी भी चिकित्सालय की मान्यता बिना कोई पूर्व सूचना व कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
3. चिकित्सालय के प्रबन्धन द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों को विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालयों की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण बताये, समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या:-2522 (1) औसं-17/पाकालि/2022-तददिनांक :-

लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, 8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (कार्मिक - प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त),(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ०प्र० पावर ट्रांसको, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अध्यक्ष निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्योच्चल, लखनऊ/पूर्वाञ्चल, वाराणसी/पश्चिमोच्चल, मेरठ/मध्योच्चल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।

7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
8. महाप्रबन्धक (का० एवं प्रशा०), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, 12वॉ तल,शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
11. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ०सं०) समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
14. प्रबन्धक, प्राची हॉस्पिटल प्रा०लि०,(मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल)सेक्टर-सी-105, शान्तिपुरम्, फाफामऊ, प्रतापगंज।
15. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. रजिस्ट्रार, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेंट स्टेशन रोड, लखनऊ।
17. अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org-Medical पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
18. कट फाइल।

भवदीय,

(Signature) 07-07-22

(लोकेन्द्र सिंह)

कार्मिक अधिकारी



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

दस्तावेज संख्या: 3499 का० एवं प्रशा०
दिनांक: 25/8/2022
पत्र संख्या: 03(45)/20

संख्या:-2523-औसं-17/पाकालि/2022-11(01)ए०एस०/09 (22)

दिनांक: 07 जुलाई, 2022

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप सं०-2241-औ०सं०/पाकालि/2021 दिनांक 16.08.2021 द्वारा दिनांक 30.04.2022 तक मान्यता प्राप्त एपेक्स हॉस्पिटल, ए यूनिट ऑफ एपेक्स वेलकेयर प्रा०लि० डी०एल०डब्ल्यू०, हाईडिल रोड, वाराणसी की मान्यता पूर्ववत् चिकित्सालय प्रबन्धन से प्राप्त समस्त वांछित अभिलेख एवं जिला पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनन्तिम प्रमाण-पत्र (Provisional Certificate) दि० 06.06.2022, जो एक वर्ष के लिए वैध है, के दृष्टिगत कारपोरेशन के आदेश सं०-4452-औसं-17/पाकालि/02, दिनांक 09.12.2002 एवम् आदेश संख्या-3593-औसं-17/पाकालि/2003, दिनांक 21.07.03 तथा आदेश संख्या-3330-औसं/2018-11(28) ए०एस०/2004 (VOL-2015/CGHS) दिनांक 08 अगस्त, 2018 में निहित प्राविधानों/मानकों एवम् अनुमोदित सी०जी०एच०एस०-2014 की मानक दरों के अधीन तदनुक्रम में दिनांक 01.05.2022 से दिनांक 05.06.2023 तक एतद्वारा निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है :-

1. उक्त चिकित्सालय को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनको प्रदान की गई मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है, तो उस चिकित्सालय की मान्यता समाप्त हो जायेगी।
2. कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि मान्यता अवधि से पूर्व कभी भी चिकित्सालय की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना व कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
3. चिकित्सालय के प्रबन्धन द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालयों की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण बताये, समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या:-2523 (1) औसं-17/पाकालि/2022-तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, 8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त),(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ०प्र० पावर ट्रांसको, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमोंचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं कैसको, कानपुर।

क्रमशः 2/-

Handwritten signature and date: 25/8/2022

7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०।
8. महाप्रबन्धक (का० एवं प्रशा०), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, 12वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
11. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ०सं०) समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लिमिटेड।
12. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वितन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लिमिटेड।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लिमिटेड।
14. प्रबन्धक, एपेक्स हॉस्पिटल, ए यूनिट ऑफ एपेक्स वेलकेयर प्रा०लि० डी०एल०डब्लू०, हाईडिल रोड, वाराणसी।
15. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
17. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन को कार्पोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org-Medical पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
18. कट फाइल।


भवदीय,

Jrf 07-07-22

(लोकेन्द्र सिंह)

कार्मिक अधिकारी

Jrf



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

द्वारा संख्या- 2445 का० एवं प्रशा०
दिनांक 25/8/2022
पत्र संख्या 03-(45)-2001

संख्या-2525-औस-17/पाकालि/2022-11(01)ए०एस०/09 (22)

दिनांक: 07 जुलाई, 2022

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप सं०-1501-औ०सं०/पाकालि/2021 दिनांक 15.06.2021 द्वारा दिनांक 31.07.2021 तक मान्यता प्राप्त अपोलो स्पेशियलिटी हॉस्पिटल्स, प्रा०लि०, 14/138, चुन्नीगंज, माल रोड, कानपुर की मान्यता पूर्ववत् चिकित्सालय प्रबन्धन से प्राप्त समस्त वांछित अभिलेख एवं जिला पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनन्तिम प्रमाण-पत्र (Provisional Certificate) दि० 18.05.2022, जो एक वर्ष के लिए वैध है, के दृष्टिगत कारपोरेशन के आदेश सं०-4452-औस-17/पाकालि/02, दिनांक 09.12.2002 एवम् आदेश संख्या-3593-औस-17/पाकालि/2003, दिनांक 21.07.03 तथा आदेश संख्या-3330-औस/2018-11(28)ए०एस०/2004 (VOL-2015/CGHS) दिनांक 08 अगस्त, 2018 में निहित प्राविधानों/मानकों एवम् अनुमोदित सी०जी०एच०एस०-2014 की मानक दरों के अधीन तदनुक्रम में दिनांक 01.08.2021 से दिनांक 17.05.2023 तक एतद्वारा निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है :-

1. उक्त चिकित्सालय को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनको प्रदान की गई मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है, तो उस चिकित्सालय की मान्यता समाप्त हो जायेगी।
2. कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि मान्यता अवधि से पूर्व कभी भी चिकित्सालय की मान्यता बिना कोई पूर्व सूचना व कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
3. चिकित्सालय के प्रबन्धन द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सालयों की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण बताये, समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या:-2525(1) औस-17/पाकालि/2022-तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, 8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ०प्र० पावर ट्रांसको, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केसको, कानपुर।

क्रमशः 2/

7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
8. महाप्रबन्धक (का० एवं प्रशा०), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, 12वाँ तल,शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्राप्ति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
11. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ०सं०) समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
14. प्रबन्धक, अपोलो स्पेशियलिटी हॉस्पिटल्स, प्रा०लि०, 14/138, चुन्नीगंज, माल रोड, कानपुर।
15. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
17. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org-Medical पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
18. कट फाइल।

भवदीय,

[Handwritten Signature] 07-07-22

(लोकेन्द्र सिंह)

कार्मिक अधिकारी

[Handwritten Initials]



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति मवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

दस्तावेज संख्या 2441 का० एवं प्र

दिनांक 25/8/2022

दिनांक 03(45)/20

संख्या:-3009-औसं-17/पाकालि/2022-11(4)ए०एस०/06

दिनांक: 05 अगस्त 2022

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवम् उन पर पूर्णतः आश्रित परिवारियों तथा पारिवारिक पेंशनरों के भर्ती के दौरान कराये गये उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति कारपोरेशन द्वारा निम्नलिखित प्रतिबन्धों शर्तों एवं कारपोरेशन द्वारा अनुमोदित दरों, जो कारपोरेशन के वेबसाइट www.uppcl.org-medical पर उपलब्ध हैं के अधीन कारपोरेशन के आदेश सं०-4452-औसं-17/पाकालि/2009, दि० 09.12.2002 में निहित प्राविधानों/मानक के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (वितरण), मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद के पत्र संख्या-10195-मुअगुक्षे/14एम-9 दिनांक 29.06.2022 में मानक संलग्न निरीक्षण आख्या/संस्तुति एवं अन्य अभिलेख तथा चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराये गये जिला पंजीकरण प्रतीक मुरादाबाद द्वारा प्रदत्त प्रोविजनल पंजीकरण संख्या-0913500012 दिनांक 25.05.2022 जो एक वर्ष हेतु वैध है। कारपोरेशन द्वारा निर्धारित सी०जी०एच०एस०-2014 की मानक दरों पर एतद्वारा सिद्ध हॉस्पिटल, (जे०पी०एस० लाइफ साइन्सेस प्रा०लि०,एल०एल०पी०) हरथला इंडस्ट्रियल स्टेट, कांठ रोड, मुरादाबाद मो० नं०-91 5912971111, 91 6396852220 को दिनांक 24.05.2023 तक के लिए कारपोरेशन की मान्यता प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त चिकित्सालय में भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती परिषद के आदेश संख्या-2088 एल०पी० 2/एस०ई०बी०(चर)29-एन०जी०-2/78, दिनांक 24.05.78 एवं आदेश सं०-3330-औसं/2018-11(28)ए०एस०/2014 (VOL-2015/CGHS) दिनांक 08 अगस्त, 2018 में निहित प्राविधानों एवं शर्तों के अधीन अनुमन्थ होगी।

1. चिकित्सालय को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीजन प्रमाण-पत्र यदि उनको प्रदान की गयी मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है, या समाप्त कर लिया जाता है तो उस चिकित्सालय की मान्यता का प्रभाव से स्वतः समाप्त हो जायेगी।
2. चिकित्सालय को विभाग द्वारा अनुमोदित दरों के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज देय न होंगे। किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क देय न होगा।
3. चिकित्सालय को अपने परिसर में एक साइन बोर्ड लगाना होगा जो यह दर्शायेगा कि "उ०प्र० पावर कारपोरेशन के लिए दिनांक 24.05.2023 तक के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सालय"।
4. चिकित्सालय को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड का एक रजिस्टर अलग से रखना होगा और हर 15 दिनों में अस्पताल को निम्नलिखित सूचना कारपोरेशन को भेजनी होगी -

(क) रोगी का नाम/पदनाम/वेतनमान/नियुक्ति स्थान/आयु एवं लिंग।

(ख) पूर्णतः आश्रित होने की दशा में रोगी का कार्मिक से सम्बन्ध।

(ग) अस्पताल में भर्ती होने एवं डिस्चार्ज होने की तिथि।

(घ) कार्मिक का वेतनमान।

(ङ) रोग का नाम (डाइग्नोसिस)।

(च) कुल चार्ज की गयी धनराशि।

5. अस्पताल प्रबन्धन को यह दायित्व पत्र देना होगा कि यह CGHS-2014 की मानक दरों पर उपलब्ध कराये गये व्यय का सहमत है।

Handwritten signature and date: 24/8/2022

Handwritten signature and date: 24/8/2022

Handwritten signature: Ram Nath

6. यदि अस्पताल द्वारा अनिवार्य रूप से भोजन दिया जाता है तो अस्पताल के दीवारों में भोजन के भय हेतु रु० १०० प्रतिदिन की कटौती कर ली जाएगी।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या-3009-(1) औसं-17/पाकालि/2022-तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, 8वें तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) / (वितरण) / (वित्त) / (वाणिज्य) / (कारपोरेट प्लानिंग) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ०प्र० पावर ट्रांसको, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्योत्तर, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमोत्तर, मेरठ/दक्षिणोत्तर, आगरा एवं केसको, कानपुर।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
8. महाप्रबन्धक (का० एवं प्रशा०), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, 12वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रतिलिपि को अपनी अर्धीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिसासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
11. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औसं०)/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वित्त एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा बन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
14. प्रबन्धक सिद्ध हॉस्पिटल, (जे०पी०एस० लाइफ साइन्स प्रा० लि० एल०एस०पी०) हरथला इंडस्ट्रियल स्टेट कांटेनर यार्ड, मुरादाबाद।
15. महाप्रबन्धक (विक्रित्ता), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. सचिव, विद्युत पेशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेंट रजेशन रोड, लखनऊ।
17. अधिसासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सा०-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org-Medical पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
18. कट फाइल।

आज्ञा से

(लोकेन्द्र सिंह)
कार्मिक अधिकारी



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928
शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राजकी संख्या 3440 का० एवं प्रशा०
दिनांक 95/8/2022
पत्रांक 03(45)/2022

संख्या-3005-औसं-17/पाकालि/2022-11(1)ए०एस०/09 (2022)

दिनांक: 03 अगस्त, 2022

विषय :- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा दिनांक 31.07.2022 तक पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की मान्यता अवधि दिनांक 01.08.2022 से अग्रेतर बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप सं०-1805-औ०सं०-17/पाकालि/2022 दिनांक 20.05.2022 एवं कार्यालय ज्ञाप सं०-2000-औ०सं०17/पाकालि/2022 दिनांक 30.05.2022 द्वारा दिनांक 31.07.2022 तक पूर्व मान्यता प्राप्त निम्नलिखित चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की मान्यता कारपोरेशन के आदेश सं०-4452-औसं-17/पाकालि/02, दिनांक 09.12.2002 एवम् आदेश संख्या-2691-औसं/पाकालि/2016, दिनांक 29.06.16 तथा आदेश संख्या-3330-औसं/2018-11(28) ए०एस०/2004 (VOL-2015/CGHS) दिनांक 08 अगस्त, 2018 में निहित प्राविधानों/मानकों एवम् अनुमोदित सी०जी०एच०एस०-2014 की मानक दरों के अधीन तदनुक्रम में जिन चिकित्सालयों से जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत पंजीकरण प्रमाण-पत्र जो दिनांक 30.04.2023 तक वैध हैं, प्राप्त हुए हैं, उनको दिनांक 30.04.2023 तक एवं जिन चिकित्सालयों से जिला पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा अनन्तिम प्रमाण-पत्र (Provisional Certificate) जो एक वर्ष के लिए वैध हैं, उपलब्ध कराये गये हैं, को तदनुसार दिनांक 01.08.2022 से अग्रेतर उनको सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक वर्ष हेतु दी गयी मान्यता की वैधता के अनुसार एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है :-

क्र०सं०	चिकित्सालय का नाम एवं पता	मान्यता की अन्तिम प्रमावी तिथि
लखनऊ 1	अवध हॉस्पिटल एण्ड हार्ट सेन्टर, अवध हॉस्पिटल चौराहा, सिंगारनगर, लखनऊ।	02.06.2023
2	टी०सी०आई० सेन्टर, बी-05/36, विनय खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ। (एकल विशिष्टता)	30.04.2023
3	आस्था सेन्टर फॉर गिरीयाट्रिक मेडिसिन पालिएटिव केयर हॉस्पिटल एण्ड सोसियल वेलफेयर सोसाइटी बी-52, जे-पार्क, महानगर, लखनऊ।	30.04.2023
4	मेडिक्स इण्टरनेशनल लाइफ साइसेज लि० (अपॉलो मेडिक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटलस) के०बी०सी०-31, सेक्टर-बी एल०डी०ए० कालोनी कानपुर रोड, लखनऊ।	29.04.2023
5	फातिमा हास्पिटल, 35 सी, महानगर, लखनऊ।	25.04.2023
6	अजन्ता हॉस्पिटल एण्ड आई०वी०एफ० सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड, 765 ए०बी०सी० काम्प्लेक्स, कानपुर रोड, आलमबाग, लखनऊ।	31.05.2023
7	एस०सी० त्रिवेदी मैमोरियल मदर एण्ड चाइल्ड ट्रस्ट हॉस्पिटल, ए-1/7, सेक्टर-एच, निकट केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।	30.04.2023
8	अभिनव दृष्टि नेत्र चिकित्सालय, बी-719, सेक्टर-सी, महानगर, लखनऊ। (एकल विशिष्टता)	30.04.2023
9	लखनऊ आई हॉस्पिटल, 82/40-क, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग लालकुआँ, लखनऊ। (एकल विशिष्टता)	30.04.2023
10	गुप्ता हॉस्पिटल, दिजयनगर, कानपुर रोड, लखनऊ।	30.04.2023
11	लखनऊ हॉस्पिटल, बी-1, सिधुनगर कृष्णनगर (थाने के पीछे), कानपुर रोड, लखनऊ।	02.06.2023
12	प्रिंसीजन यूरोलॉजी हॉस्पिटल, 652 बी/37 प्रताप नगर सिंग रोड, टेडी पुलिया, पोस्ट-विकास नगर, लखनऊ।	25.04.2023
13	लखनऊ कैंसर इन्स्टीट्यूट, मानस नगर जियामऊ, लखनऊ।	30.04.2023
14	रिलीफ हॉस्पिटल, निकट-सगानन्द मार्केट, त्रिवेणीनगर एन०एच०-24, सीतापुर रोड, लखनऊ।	30.04.2023

MSL

10/1/2022
Nath
Prasad

15	डिवाइन हार्ट एण्ड मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, विराज खण्ड इन्स्टीट्यूशनल एरिया-5 गोमतीनगर, लखनऊ।	04.05.2023
16	शालीमार हॉस्पिटल एण्ड थ्रामा सेन्टर, ए-989, इन्दिरानगर, लखनऊ।	30.04.2023
17	मेयो मेडिकल सेन्टर प्रा०लि०, विकास खण्ड-II गोमतीनगर, लखनऊ।	29.04.2023
मेरठ 18	जसवन्त राय स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, मवाना रोड, मेरठ। (हृदय तथा अन्य गम्भीर रोगों के कैशलेस उपचार एवं सामान्य चिकित्सा हेतु। आदेश संख्या-1929 दिनांक 30.05.2015)	26.05.2023
19	मेट्रो हॉस्पिटल एण्ड हार्ट सेन्टर, 47/जी-5, बाउन्ड्री रोड, लालकुर्ती, मेरठ। (हृदय के क्रेडिट उपचार एवं सामान्य चिकित्सा हेतु)	26.05.2023
20	प्रकाश आँखों का अस्पताल एवं लेजर सेन्टर, हारमोनी इन के सामने, गार्डन हाउस कालोनी, मेरठ। (एकल विशिष्टता)	30.04.2023
21	दृष्टि आई फाउण्डेशन, प्रथम तल, तिरुपति प्लाजा, बच्चा पार्क, मेरठ। (एकल विशिष्टता)	30.04.2023
22	लोकप्रिय हॉस्पिटल, सम्राट पैलेस, गढ़ रोड, मेरठ।	02.06.2023
23	के०एम०सी० हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, बागपत रोड, मेरठ।	26.05.2023
24	धन्वन्तरि जीवन रेखा लिमिटेड, 1-साकेत रोड, मेरठ। (हृदय के क्रेडिट उपचार एवं सामान्य चिकित्सा हेतु)	26.05.2023
25	वेलन्टिस कैंन्सर हॉस्पिटल, मसूरी, मवाना रोड, मेरठ। (एकल विशिष्टता)	15.06.2023
सहारनपुर 26	शान्ती आई हॉस्पिटल, सब्जी मण्डी के सामने दिल्ली रोड, सहारनपुर।	30.04.2023
गाजियाबाद 27	मानव मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, बी-ब्लाक मार्केट, कविनगर, गाजियाबाद। (आदेश सं०-3246 दिनांक 18.09.19 द्वारा गम्भीर रोगों हेतु कैशलेस की सुविधा)	30.04.2023
28	यशोदा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, एच-1, कौशाम्बी, गाजियाबाद।	01.06.2023
नोयडा 29	मेट्रो हॉस्पिटल एण्ड हार्ट इन्स्टीट्यूट एल०-94, सेक्टर 11-12, नोयडा। (हृदय तथा अन्य गम्भीर रोगों के कैशलेस उपचार एवं सामान्य चिकित्सा हेतु।)	30.04.2023
30	यथार्थ वेलनेस सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एण्ड हार्ट सेन्टर, प्लॉट नं०-एन०एच०-1 सेक्टर-110, नोएडा (गौतमबुद्धनगर)	12.05.2023
31	यथार्थ वेलनेस सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, एण्ड थ्रामा सेन्टर, प्लॉट नं०-एन०एच०-32, एच०ओ०-1, सेक्टर- ओमेगा-1 ग्रेटर नोयडा (गौतमबुद्धनगर)	12.05.2023
कानपुर 32	फार्च्यून हॉस्पिटल, 117/क्यू/40-ए, शारदानगर, कानपुर।	30.04.2023
वाराणसी 33	बी०के० हार्ट इन्स्टीट्यूट प्रा०लि०, नेवादा डी०एल०डब्लू० रोड, वाराणसी। (हृदय के क्रेडिट उपचार एवं सामान्य चिकित्सा हेतु)	16.06.2023
34	संतुष्टि हॉस्पिटल, प्रा०लि०, एन-8/180-बी-51, नेवादा, मेहमूरगंज, वाराणसी।	08.06.2023
35	हेरिटेज हॉस्पिटल, लंका, वाराणसी (हृदय के क्रेडिट उपचार एवं सामान्य चिकित्सा हेतु)	06.06.2023
36	लाइफ लाइन हॉस्पिटल, बी०एच०यू०, डी०एल०डब्लू० रोड, सुन्दरपुर, वाराणसी।	06.06.2023
37	पापुलर मेडिकेयर लिमिटेड, एन०-10/60, ए-2, डी०एल०डब्लू० नियर रेलवे ओवरब्रिज, ककरमत्ता, वाराणसी।	24.06.2023
फैजाबाद 38	अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबारी, परिक्रमा मार्ग, अयोध्या, फैजाबाद।	06.06.2023
मुरादाबाद 39	टी०एम०यू० हॉस्पिटल, तीर्थाकर महावीर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, बागड़पुर, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।	24.05.2023

40	कॉमर्स हॉस्पिटल, प्रेम नगर, पोस्ट ऑफिस- काजीपुर, कॉड रोड, मुरादाबाद।	24.05.2023
अलीगढ़ 41	मिथराज हॉस्पिटल, रामघाट रोड, अलीगढ़।	30.04.2023
गोरखपुर 42	गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय, गोरखनाथ मन्दिर, परिसर, गोरखपुर।	01.05.2023

1. उक्त चिकित्सालयों को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनका प्रदान की गई मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है, तो उस चिकित्सालय की मान्यता समाप्त हो जायेगी।
2. कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि मान्यता अवधि से पूर्व कभी भी चिकित्सालय की मान्यता बिना कोई पूर्व सूचना व कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
3. चिकित्सालय के प्रबन्धन द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दस्तों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालयों की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण बताये समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या:-3005(1) औसं-17/पाकालि/2022-तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, 8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/ (वितरण)/ (वित्त)/ (वाणिज्य)/ (कारपोरेट प्लानिंग) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर ट्रांसको, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यंचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमोत्तर मेरठ/दक्षिणोत्तर आगरा एवं केसको, कानपुर।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
8. महाप्रबन्धक (का0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, 12वाँ तल शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
11. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
14. प्रबन्धकगण-सूचीबद्ध समस्त चिकित्सालय।
15. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
17. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org-Medical पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
18. कट फाइल।

भवदीय,

Pranav
(प्रदीप कुमार)

उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)